सं. 19039/03/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - वाहन भत्ता।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप और इस विभाग के 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.19039/02/2008-ई.IV का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एसआर-25 के तहत स्वीकार्य नियत वाहन भत्ते की दरें निम्नलिखित प्रकार से पुनरीक्षित करते हैं:

(रुपए प्रतिमाह)

सरकारी ड्यूटी पर औसत मासिक यात्रा	**स्वयं की मोटर कार से यात्रा के लिए**	**अन्य प्रकार के वाहनों से की गई यात्रा के लिए**
201-300 कि.मी.	1680	556
301-450 कि.मी.	2520	720
451-600 कि.मी.	2980	960
601-800 कि.मी.	3646	1126
>800 कि.मी.	4500	1276

2 पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय महंगाई भत्ता जब बढ़कर 50% हो जाएगा, इन दरों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाएगी।

3 एसआर-25 में उल्लिखित शर्तें और प्रावधान लागू रहेंगे।

4 **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

5 जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।